रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-28122021-232216 CG-DL-E-28122021-232216

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5029] No. 5029] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 28, 2021/पौष 7, 1943 NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 28, 2021/PAUSA 7, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2021

(आय-कर)

का.आ. 5429(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 250 की उपधारा (6ख) और (6ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 3296(अ), तारीख 25 सितंबर, 2020 और का.आ. 3297 तारीख 25 सितंबर, 2020 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित की गई थी, पहचान विहीन अपील स्कीम, 2020 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हे ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम पहचान विहीन अपील स्कीम, 2021 है;
 - (2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।
- 2. परिभाषाएं- (1) इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
 - (i) "अधिनियम" से आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) अभिप्रेत है;

7612 GI/2021 (1)

- (ii) "प्रेषिती" का वही अर्थ होगा जो उसका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में है ;
- (iii) "अपील" से अधिनियम की धारा 246क या धारा 248 के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा फाइल अपील अभिप्रेत है;
- (iv) "अपीलार्थी" से अधिनियम की धारा 246क या धारा 248 के अधीन अपील फाइल करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है ;
- (v) "प्राधिकृत प्रतिनिधि" का वही अर्थ होगा जो अधिनियम की धारा 288 की उपधारा (2) में है ;
- (vi) "स्वचालित आबंटन प्रणाली" से संसाधनों के उपयोग के अनुकूलन की दृष्टि से उपयुक्त प्रौद्योगिक औजारों के उपयोग द्वारा जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग शामिल है, मामलों के यदृच्छया आबंटन के लिए प्रतीक गणित, अभिप्रेत है;
- (vii) "कम्प्यूटर संसाधन" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ट) में है ;
- (viii) "कम्प्यूटर प्रणाली" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ठ) में है ;
- (ix) "अपीलार्थी का कम्यूटर स्रोत" से आयकर विभाग के नामनिर्दिष्ट पोर्टल में अपीलार्थी का रजिस्ट्रीकृत खाता या रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नंबर से संयुक्त मोबाइल ऐप या रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता शामिल है, अभिप्रेत है ;
- (x) "अंकीय हस्ताक्षर" का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (त) में है ;
- (xi) "नामनिर्दिष्ट पोर्टल" से राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केन्द्र के भारसाधक आयकर प्रधान मुख्य आयुक्त या आयकर प्रधान महानिदेशक द्वारा अभिहित वेब पोर्टल अभिप्रेत है ;
- (xii)"ई-अपील" से नामनिर्दिष्ट पोर्टल में अपीलार्थी के रजिस्ट्रीकृत खाते के माध्यम से 'ई-अपील' सुविधा में इलैक्ट्रानिक ढंग से संचालित कार्यवाही अभिप्रेत है ;
- (xiii) "इलैक्ट्रानिक रिकार्ड" का वही अर्थ होगा जो सुचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (न) में है ;
- (xiv) "ई-मेल" या "इलैक्ट्रानिक मेल" और "इलैक्ट्रानिक मेल मैसेज" से कम्प्यूटर, कम्प्यूटर सिस्टम, कम्प्यूटर संसाधन या संसूचना युक्ति, जिसके अंतर्गत पाठ में संलग्नक, चित्र, श्रव्य, दृश्य और कोई अन्य इलैक्ट्रानिक अभिलेख, जिसे संदेश के साथ संचारित किया जा सकता है, पर सृजित या संचारित या प्राप्त कोई संदेश या सूचना अभिप्रेत है;
- (xv) "हैस फंक्शन" और "हैस रिजल्ट" के वही अर्थ होंगे, जो उनके सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 3 की उपधारा (2) के स्पष्टीकरण में हैं ;
- (xvi) "मोबाइल ऐप" से मोबाइल युक्तियों के लिए विकसित आय-कर विभाग का एप्लीकेशन साफ्टवेयर अभिप्रेत है, जिसे अपीलार्थी के रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नम्बर पर डाउनलोड और इंस्टाल किया जाता है ;
- (xvii) "राष्ट्रीय पहचान विहीन ई-निर्धारण केन्द्र" से अधिनियम की धारा 143ख के अधीन स्थापित और अधिसूचित राष्ट्रीय पहचान विहीन ई-निर्धारण केन्द्र अभिप्रेत है;
- (xviii) "रियल टाइल अलर्ट" से कोई संसूचना अभिप्रेत है, जो उसे इलैक्ट्रानिक संसूचना के परिदान के संबंध में सतर्क करने के लिए उसके रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नम्बर पर शार्ट मैसेजिंग सर्विस द्वारा या उसके मोबाइल ऐप पर अपडेट द्वारा या उसके रजिस्ट्रीकृत ई-मेल द्वारा भेजा जाता है;
- (xix) अपीलार्थी के "रजिस्ट्रीकृत खाता" से अभिहित पोर्टल में अपीलार्थी द्वारा रजिस्ट्रीकृत इलैक्ट्रानिक फाइलिंग खाता अभिप्रेत है ;

- (xx) "रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पता" से वह ई-मेल पता अभिप्रेत है, जिस पर प्रेषिती को इलैक्ट्रानिक संसूचना परिदत्त या संचारित की जा सकती है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी है –
- (क)अभिहित पोर्टल में रजिस्ट्रीकृत प्रेषिती के इलैक्ट्रानिक फाइलिंग खाते में उपलब्ध ई-मेल पता ; या
- (ख)प्रेषिती द्वारा प्रस्तुत किए गए अंतिम आय-कर विवरणी में उपलब्ध ई-मेल पता ; या
- (ग) प्रेषिती से संबंधित स्थायी खाता संख्यांक डाटा बेस में उपलब्ध ई-मेल पता ; या
- (घ) प्रेषिती से कोई व्यष्टि होने की दशा में, जिसके पास आधार संख्या है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के डाटा बेस में उपलब्ध प्रेषिती का ई-मेल पता ; या
- (ङ) प्रेषिती के कंपनी होने की दशा में, कंपनी का कारपोरेट कार्य मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध ई-मेल पता ; या
- (च) प्रेषिती द्वारा आय-कर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्ति को उपलब्ध कराया गया कोई ई-मेल पता ।
- (xxi) अपीलार्थी की "रजिस्ट्रीकृत मोबाइल नम्बर" से अभिहित पोर्टल में अपीलार्थी द्वारा रजिस्ट्रीकृत इलैक्ट्रानिक फाइलिंग खाते के यूजर प्रोफाइल में प्रकट होने वाला अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि का मोबाइल नम्बर;
- (xxii) "नियम" से आय-कर नियम, 1662 अभिप्रेत है;
- (xxiii) "वीडियो कान्फ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी" से रियल टाइम में लोगों के बीच संसूचना हेतु विभिन्न अवस्थानों पर उपयोक्ता द्वारा श्रव्य-दृश्य सिगनलों की प्राप्ति और संचारण के लिए प्रौद्योगिकी समाधान अभिप्रेत है।
- (2) इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, किन्तु अधिनियम में परिभाषित की गई हैं, के वहीं अर्थ होंगे, जो उनके अधिनियम में है।
- **3.** स्कीम का क्षेत्र-- इस स्कीम के अधीन अपील का निपटारा ऐसे प्रादेशिक क्षेत्र, अथवा व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के वर्ग, अथवा आय अथवा आय के वर्ग अथवा मामले अथवा मामले के वर्ग, जो बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, के संबंध में किया जाएगा।
- 4. पहचान विहीन अपील केन्द्र-- (1) इस स्कीम के प्रयोजन के लिए, बोर्ड निम्नलिखित की स्थापना कर सकेगा –
- (i) केन्द्रीकृत रीति में ई-अपील कार्यवाहियों के संचालन को सुविधाजनक बनाने हेतु एक राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केन्द्र ; और
- (ii) अपील इकाईयां जिसे आयुक्त (अपील) द्वारा ई-अपील कार्यवाहियों को संचालित करने को सुकर बनाने के लिए आवश्यक समझा गया है ।
- (2) इस स्कीम के अधीन यथा आवश्यक सूचना या दस्तावेज अथवा साक्ष्य या अन्य ब्यौरे के संबंध में आयुक्त (अपील) और अपीलार्थी या अन्य किसी व्यक्ति या निर्धारण अधिकारी के मध्य सभी संसूचना राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केन्द्र के माध्यम से की जाएगी।
- (3) उप-पैरा (1) के खंड (ii) में निर्दिष्ट अपील इकाई के पास निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात् :-
 - (क) एक आयुक्त (अपील) ;
- (ख) बोर्ड द्वारा यथा आवश्यक समझे जाने वाले आयुक्त (अपील) की सहायता के लिए अन्य ऐसे आय-कर प्राधिकारी, लिपिक वर्गीय कर्मचारीवृन्द, कार्यकारी अथवा परामर्शदाता ।
- 5. अपील की प्रक्रिया.- (1) पैरा 3 में निर्दिष्ट अपील का निपटारा निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार इस स्कीम के अधीन किया जाएगा, अर्थात् :-
 - (i) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केन्द्र स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से किसी विनिर्दिष्ट अपील इकाई के आयुक्त (अपील) को निपटान के लिए अपील समानुदेशित करेगा ;

- (ii) अपील के समानुदेशन पर, आयुक्त (अपील),-
 - (क) यदि अपील अधिनियम की धारा 249 के अधीन स्वीकृत समय-सीमा के बाद फाइल की गई है, तो अपील फाइल करने में विलंब को माफ कर सकेगा और खंड (भ) के अधीन अपील में पारित किए गए आदेश में ऐसी माफी या अन्यथा के लिए कारणों को अभिलिखित करेगा;
 - (ख) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केन्द्र के माध्यम से अपीलार्थी को उसे नोटिस में निर्दिष्ट समय और तारीख के भीतर अपना निवेदन फाइल करने के लिए कहते हुए, एक नोटिस दिया जाएगा और ऐसे नोटिस की एक प्रति निर्धारण अधिकारी को भी या तो प्रत्यक्ष या राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केन्द्र के माध्यम यथास्थिति भेजी जाएगी;
 - (ग) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केन्द्र के माध्यम से अपीलार्थी या अन्य किसी व्यक्ति जैसा भी मामला हो, से ऐसी अन्य जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य प्राप्त कर सकेगा;
 - (घ) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केन्द्र के माध्यम से निर्धारण अधिकारी की कोई रिपोर्ट या तो प्रत्यक्ष या राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केन्द्र के माध्यम से, जैसा भी मामला हो अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई अपील या जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य के आधार पर प्राप्त कर सकेगा ;
 - (ङ) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केन्द्र के माध्यम से अधिनियम की धारा 250 की उपधारा (4) के अधीन अतिरिक्त जांच करने और इसके संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्धारण अधिकारी से या तो सीधे या राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केन्द्र के माध्यम से, चाहे जैसा भी मामला हो, निवेदन कर सकेगा;
 - (च) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केन्द्र के माध्यम से यथास्थिति अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति पर या यथास्थिति निर्धारण अधिकारी पर या तो प्रत्यक्ष या राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केन्द्र के माध्यम से ऐसी सूचना, दस्तावेज या साक्ष्य या रिपोर्ट जो आयुक्त (अपील) द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए या जो अपील कार्यवाही से सूसंगत हो, विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर प्रस्तुत करने के लिए, नोटिस की तामील कर सकेगा;
- (iii) यथास्थिति, अपीलार्थी या अन्य व्यक्ति खंड (ii) के उपखंड (ख), (ग) या (च) में निर्दिष्ट नोटिस के उत्तर में, इसमें निर्दिष्ट तारीख और समय के भीतर या ऐसी विस्तारित तारीख और समय पर जो राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केन्द्र के माध्यम से आयुक्त (अपील) को इस निमित्त किए गए आवेदन के आधार पर अनुज्ञात की गई हो, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;
- (iv) यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या तो प्रत्यक्ष या राष्ट्रीय पहचान विहीन निर्धारण केन्द्र के माध्यम से खंड (ii) के उपखंड (घ), (ङ) या (च) में निर्दिष्ट नोटिस के उत्तर में, इसमें निर्दिष्ट तारीख और समय के भीतर या ऐसी विस्तारित तारीख और समय पर जो राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केन्द्र के माध्यम से आयुक्त (अपील) को इस निमित्त किए गए आवेदन के आधार पर अनुज्ञात की गई हो, रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;
- (v) अपीलार्थी राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केन्द्र के माध्यम से आयुक्त (अपील) को अपील के अतिरिक्त आधारों को ऐसे प्रारूप में जो राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केन्द्र द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाए, उसके द्वारा फाइल की गई अपील में ऐसे आधारों के लोप के कारणों को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए फाइल कर सकेगा।
 - (vi) जहां अपील का अतिरिक्त आधार फाइल किया गया है-
 - (क) आयुक्त (अपील), राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से, टिप्पणियां प्रदान करने के लिए, यदि कोई हों, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी को या सीधे या राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से. अपील का अतिरिक्त आधार भेजेंगे:
 - (ख) निर्धारण अधिकारी को या तो सीधे या राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से, यथास्थिति, विनिर्दिष्ट तारीख और समय अथवा इस निमित्त किए गए आवेदन के आधार पर यथा विस्तारित किए जा सकने वाले तारीख और समय के भीतर अपनी टिप्पणियां राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से, आयुक्त (अपील), को प्रस्तुत करेगा;

- (ग) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी को या सीधे या राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से टिप्पणियों की प्राप्ति पर आयुक्त (अपील),को ऐसी टिप्पणियां भेजेगा. और जहां कोई टिप्पणियां प्रस्तुत नहीं की जातीं, आयुक्त (अपील), को सूचित करेगा;
- (घ) आयुक्त (अपील), यथास्थिति,निर्धारण अधिकारी को या सीधे या राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से प्राप्त टिप्पणियां. यदि कोई हों, पर विचार करने के पश्चात निम्नलिखित करेगा:-
 - (क) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपील के प्ररुप से अतिरिक्त आधार का लोप दराग्रहपूर्ण अथवा अतार्किक नहीं था, ऐसा आधार स्वीकार करेगी; अथवा
 - (ख) खंड (x) के अधीन पारित अपील आदेश में अभिलिखित करने वाले कारणों के लिए अन्य किसी मामले में, अतिरिक्त आधार स्वीकार नहीं करेगी :
- अपीलार्थी, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी को या सीधे या राष्टीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से आयुक्त (अपील), को राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से उसके समक्ष कार्यवाहियों के दौरान उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से भिन्न, राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र द्वारा विनिर्दिष्ट किए जा सकने वाले ऐसे प्ररूप में उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से भिन्न अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत कर सकेगा जिसमें यह विनिर्दिष्ट करेगा कि यह मामला नियमों के नियम 46क के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट आपवादिक परिस्थितियों के अन्तर्गत किस प्रकार आता है:
 - जहां अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तृत किया जाता है.-(viii)
 - आयुक्त (अपील), राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से नियमों के नियम 46क के (क) अनुसार अतिरिक्त साक्ष्य की स्वीकार्यता पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी को या सीधे या राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से अतिरिक्त साक्ष्य भेजेगा:
 - निर्धारण अधिकारी को या सीधे या राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से यथास्थिति. (ख) विनिर्दिष्ट तारीख और समय द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन के आधार पर यथा अनुज्ञात विस्तारित ऐसे समय के भीतर उपखंड(क) में यथा निर्दिष्ट रिपोर्ट राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से आयुक्त (अपील),को प्रस्तुत करेगा;
 - राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र, निर्धारण अधिकारी को या सीधे या राष्ट्रीय पहचान विहीन (ग) अपील केंद्र के माध्यम से यथास्थिति. रिपोर्ट की प्राप्ति पर आयुक्त (अपील),को ऐसी रिपोर्ट भेजेगा. जहां ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं प्रस्तृत की जाती है. आयुक्त (अपील),को सचित करेगा:
 - आयुक्त (अपील) अतिरिक्त साक्ष्य और रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात, (घ) यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी द्वारा या सीधे या राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से. लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के लिए अतिरिक्त साक्ष्य को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है, और यह खंड (x) के अधीन पारित अपील आदेश का एक हिस्सा होगा;
 - आयुक्त (अपील) अपीलीय कार्यवाहियों में ऐसे साक्ष्य को लेने से पूर्व अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए (ङ) जाने वाले ऐसे साक्ष्य की जांच अथवा साक्षी की प्रति परीक्षा के लिए अथवा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तृत साक्ष्य अथवा साक्षी के प्रत्युत्तर में ऐसे साक्ष्य अथवा दस्तावेज अथवा किसी साक्षी को पेश करने के लिए, यथास्थिति,निर्धारण अधिकारी द्वारा या तो सीधे या राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से, राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र को एक अवसर प्रदान करने के लिए एक नोटिस प्रस्तृत करेगी तथा उसकी एक रिपोर्ट प्रस्तृत करेगी तथा यथास्थिति,निर्धारण अधिकारी द्वारा या सीधे या राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से, ऐसा नोटिस राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र को भेजेगी;
 - निर्धारण अधिकारी द्वारा या सीधे या राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से, (च) यथास्थिति, विविनिर्दिष्ट तारीख और समय अथवा राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से, आयुक्त (अपील) को इस संबंध में किए गए आवेदन के आधार पर ऐसे विस्तारित की जाने वाली तारीख और समय के भीतर रिपोर्ट प्रस्तृत करेगा;

- (छ) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र,यथास्थिति निर्धारण अधिकारी द्वारा या सीधे या राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से प्रस्तुत रिपोर्ट भेजेगा अथवा जहां ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की जाती है, आयुक्त (अपील) को सूचित करेगा;
- (ज) निर्धारण अधिकारी द्वारा या सीधे या राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से अपीलीय कार्यवाही से सुसंगत, अपीलार्थी द्वारा कोई दस्तावेज़ या साक्ष्य प्रस्तुत करने या किसी साक्षी की परीक्षा करने का निदेश देने के लिए राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से आयुक्त (अपील) से अनुरोध कर सकेगा;
- (झ) आयुक्त(अपील) खंड (ii) के उप-खंड (ङ) में यथानिर्दिष्ट अपील कार्यवाही में पूछताछ करने के प्रयोजन से या जहां उप-खंड (ज) में निर्दिष्ट अनुरोध प्राप्त होता है, यदि वह ठीक समझे तो एक नोटिस प्रस्तुत करें -
 - (क) जिसमें अपीलार्थी को ऐसा दस्तावेज़ या साक्ष्य प्रस्तुत करने का निदेश देगी जो वह विनिर्दिष्ट करे: या
 - (ख) साक्षी होने के नाते, किसी अन्य व्यक्ति की परीक्षा के लिए; और राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र को ऐसा नोटिस भेजेगी;
 - (ञ) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र, अपीलार्थी या अन्य किसी व्यक्ति को, साक्षी होने के नाते उप-खंड (i) में निर्दिष्ट नोटिस भेजेगा:
 - (ट) अपीलार्थी या अन्य कोई व्यक्ति यथास्थिति, नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख और समय के भीतर या राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से आयुक्त (अपील) से इस निमित्त दिए गए आवेदन के आधार पर, बढाई गई तारीख और समय के भीतर उप-खंड (ञ) में निर्दिष्ट नोटिस पर अपना प्रतिउत्तर प्रस्तुत करेगा;
 - (ठ) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र, यथास्थिति, अपीलार्थी या अन्य किसी व्यक्ति से प्रतिउत्तर की प्राप्ति पर आयुक्त (अपील) को ऐसे प्रति उत्तर भेजेगा जहाँ ऐसा उत्तर फाइल नहीं किया जाता है,तदनुसार आयुक्त (अपील) को सूचित करेगा;
- (ix) जहाँ आयुक्त (अपील) किसी निर्धारण या किसी शास्ति में वृद्धि करना या प्रतिदाय की रकम को कम करना चाहती है,-
 - (क) आयुक्त (अपील) एक कारण बताओ नोटिस प्रस्तुत करेगी जिसमे, यथास्थिति, ऐसी वृद्धि या कटौती के कारण अंतर्विष्ट होंगे, और राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से ऐसा नोटिस भेजेगी:
 - (ख) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र, उप-खंड (क) में यथानिर्दिष्ट नोटिस अपीलार्थी को भेजेगा ;
 - (ग) अपीलार्थी नोटिस में विनिर्दिष्ट समय या इस संबंध में दिए गए आवेदन के आधार पर अनुज्ञात ऐसे बढ़े समय के भीतर, अपना उत्तर राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र को प्रस्तुत करेगा;
 - (घ) जहाँ अपीलार्थी द्वारा प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया जाता है, राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र ऐसे प्रतिउत्तर को आयुक्त (अपील) को भेजेगा, या जहाँ ऐसा कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है, वह आयुक्त (अपील) को सूचित करेगा ।
 - (x) आयुक्त (अपील), उसके पश्चात -
 - (क) अवधारण, उस पर विनिश्चय और विनिश्चय के कारण के लिए बिंदुओं का कथन करते हुए, अधिनियम की धारा 251 के उपबंधों के अनुसार लिखित रूप में एक अपील आदेश प्रस्तुत करेगा;और
 - (ख) इसमे आरंभ की जाने वाली शास्ति यदि कोई हो, कार्यवाहियों के ब्यौरों के साथ राष्ट्रीय पहचान विहीन अपीलीय केंद्र को वैसे डिजिटल रूप में हस्ताक्षर करने के पश्चात ऐसा आदेश भेजेगी;

(xi) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र खंड (x) के उप-खंड (ख) में, यथानिर्दिष्ट, आदेश की प्राप्ति पर.-

- (क) अपीलार्थी को ऐसे आदेश के बारे में सुचित करेगा:
- (ख) अधिनियम की धारा 250 की उपधारा (7) के अनुसार प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान आयुक्त या आयुक्त को ऐसे आदेश के बारे में सूचित करेगा;
- (ग) ऐसे आदेश को निर्धारण अधिकारी द्वारा, यथास्थिति, या तो सीधे या राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से ऐसी कार्रवाई के लिए भेजेगा, जो अधिनियम के अधीन अपेक्षित हो:
- (घ) जहां आदेश में शास्ति के आशय की सिफारिश की गई है, अपीलार्थी को नोटिस देते हुए कारण बताने को कहा जाएगा कि अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन, उस पर शास्ति क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए;
- (2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, अपील, अपील की कार्यवाही के किसी भी चरण में, यदि आवश्यक हो, अधिनियम की धारा 120 के अनुसार आदेश द्वारा ऐसे आयुक्त (अपील) को स्थानांतरित की जा सकती है, जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।
- 6. शास्ति की कार्यवाहियां (1) आयुक्त (अपील), अपील की कार्यवाही के दौरान, यथास्थिति, अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा इस स्कीम के अधीन, जारी किए गए किसी भी नोटिस, निदेश या आदेश का अनुपालन नहीं करने पर,अपीलार्थी को यह कारण बताने के लिए कि अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए, किसी भी शास्ति की कार्यवाही को आरंभ करने के लिए राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केन्द्र के माध्यम से एक नोटिस भेज सकता है।
- (2) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र उपपैरा (1) के अधीन, नोटिस के प्राप्त होने पर,यथास्थिति, अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति को नोटिस देते हुए कारण बताने को कहा जाएगा ;
- (3) अपीलार्थी या कोई अन्य व्यक्ति, यथास्थिति, राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केन्द्र के माध्यम से आयुक्त (अपील),को ऐसे नोटिस में विनिर्दिष्ट समय या इस तरह के विस्तारित समय के भीतर, जैसा कि इस संबंध में किए गए आवेदन के आधार पर अनुमित दी जा सकती है, पैरा 5 के उप-पैरा (1) के खंड (xi) के उप-खंड (घ) या उप-पैरा (2) में निर्दिष्ट कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत करेगा;
- (4) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केन्द्र, यथास्थिति,अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत प्रतिक्रिया, आयुक्त (अपील) को भेजेगा या जहां ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है, आयुक्त (अपील) को सूचित करें।
- (5) आयुक्त (अपील), प्रस्तुत किए गए प्रतिउत्तर सहित अभिलिखित में उपलब्ध सभी सुसंगत सामग्रियों को ध्यान में रखने के पश्चात ,यथास्थिति, अपीलार्थी या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा,
 - (क) एक शास्ति आदेश प्रस्तुत करेगा और डिजिटल हस्ताक्षर करने के पश्चात ऐसे आदेश की एक प्रति राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र को भेजेगी; या
 - (ख) राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र को सूचित करते हुए कारणों को रिकॉर्ड करने के पश्चात शास्ति हटा देगी।
- (6) जहां किसी मामले को आयुक्त (अपील) ने शास्ति हटा दी गई है, राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र इसकी सूचना भेजेगा, या जहां आयुक्त (अपील) जुर्माना लगाने का आदेश भेजता है, राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र इस तरह के आदेश को संसूचित करेगा, -
 - (क) अपीलार्थी या अन्य कोई व्यक्ति, यथास्थिति; और
 - (ख) निर्धारण अधिकारी द्वारा या तो सीधे या राष्ट्रीय पहचान विहीन अपील केंद्र के माध्यम से ऐसी कार्यवाही के लिए, जो अधिनियम के अधीन अपेक्षित है।

- 7. परिशोधन कार्यवाहियां (1) आयुक्त (अपील) के अभिलेख में प्रकटमान किसी त्रुटि का परिशोधन करने के दृष्टिकोण से लिखित में पारित किए जाने वाले आदेश द्वारा अधिनियम के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा पारित किसी आदेश में संशोधन कर सकेगा।
- (2) इस स्कीम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट त्रुटि के परिशोधन के लिए आवेदन निम्नलिखित द्वारा राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केन्द्र में फाइल किया जा सकेगा :-
 - (क) यथास्थिति, अपीलार्थी या कोई अन्य व्यक्ति; या
 - (ख) आयुक्त (अपील) जिसने आदेश पारित किया है; या
 - (ग) निर्धारण अधिकारी, यथास्थिति, प्रत्यक्ष रूप से या राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र के माध्यम से।
- (3) जहां उप-पैरा (2) में निर्दिष्ट कोई आवेदन राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केन्द्र द्वारा प्राप्त किया जाता है तो वह ऐसे आवेदन को स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से आयुक्त (अपील) को समनुदेशित करेगा ।
- (4) आयुक्त (अपील) आवेदन का परीक्षण करेगा और निम्नलिखित को अवसर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केन्द्र को नोटिस भेजेगा –
- (क) यथास्थिति, अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति को, जहां आवेदन, यथास्थिति, प्रत्यक्ष रूप से या राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र के माध्यम से निर्धारण अधिकारी द्वारा फाइल किया गया है: या
- (ख) यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र को, जहां आवेदन, यथास्थिति, अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र के माध्यम से निर्धारण अधिकारी द्वारा फाइल किया गया है; या
- (ग) यथास्थिति, अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति को, या निर्धारण अधिकारी को, जहां आवेदन उप-पैरा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट आयुक्त (अपील) द्वारा फाइल किया गया है ।
- (5) राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केन्द्र उप-पैरा (4) में निर्दिष्ट नोटिस, यथास्थिति, अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति या निर्धारण अधिकारी को, यथास्थिति, प्रत्यक्ष रूप से या राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र को या हेतुक दर्शित करते हुए कि अधिनियम के सुसंगत उपबंधों के अधीन त्रुटियों का परिशोधन क्यों नहीं किया जाना चाहिए, तामील करेगा।
- (6) यथास्थिति, अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति, या निर्धारण अधिकारी यथास्थिति, प्रत्यक्ष रूप से या राष्ट्रीय पहचानिवहीन निर्धारण केन्द्र के माध्यम से उप-पैरा (5) में यथानिर्दिष्ट नोटिस का उत्तर उसमें विनिर्दिष्ट तारीख और समय के भीतर या ऐसे विस्तारित तारीख और समय के भीतर जो इस निमित्त किए गए आवेदन के आधार पर अनुज्ञात किया जाए, राष्ट्रीय पहचानिवहीन अपील केन्द्र को प्रस्तुत करेगा।
- (7) जहां उप-पैरा (6) में यथानिर्दिष्ट उत्तर यथास्थिति, अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति या निर्धारण अधिकारी द्वारा यथास्थिति, प्रत्यक्ष रूप से या राष्ट्रीय पहचानिवहीन निर्धारण केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रीय पहचानिवहीन अपील केन्द्र ऐसे उत्तर को आयुक्त (अपील) के पास भेजेगा, या जहां ऐसा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तद्नुसार, आयुक्त (अपील) को सूचित करेगा।
- (8) आयुक्त अपील, यथास्थिति, अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति, या निर्धारण अधिकारी द्वारा यथास्थिति, प्रत्यक्ष रूप से या राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र के माध्यम से प्रस्तुत आवेदन और उत्तर, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात्, लिखित में आदेश द्वारा, –
 - (क) त्रुटियों का परिशोधन करेगा; या
- (ख) परिशोधन के लिए आवेदन को उसके कारण दर्शित करते हुए, निरस्त करेगा, तथा आदेश पर डिजिटल हस्ताक्षर करने के पश्चात् इसे राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केन्द्र भेजेगा।
- (9) राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केन्द्र, उप-पैरा (8) में यथानिर्दिष्ट परिशोधन आदेश की प्राप्ति पर ऐसे आदेश को निम्नलिखित को संसूचित करेगा, –
 - (क) यथास्थिति, अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति को; और

- (ख) निर्धारण अधिकारी को, यथास्थिति, प्रत्यक्ष रूप से या राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र के माध्यम से ऐसी कार्रवाई के लिए जो अधिनियम के अधीन अपेक्षित हो ।
- 8. अपील कार्यवाहियां (1) इस स्कीम के अधीन आयुक्त (अपील) द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील अपीलार्थी निर्धारिती के अधिकारिता वाले निर्धारण अधिकारी पर अधिकारिता रखने वाले आयकर अपील अधिकरण के समक्ष की जाएगी।
- (2) स्कीम के पैरा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां आयुक्त (अपील) द्वारा पारित कोई आदेश अपास्त कर दिया जाता है और आयकर अपील अधिकरण या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा आयुक्त (अपील) को प्रतिप्रेषित कर दिया जाता है, राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केन्द्र इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार और कार्रवाई हेतु आदेश को आयुक्त (अपील) को समनुदेशित करेगा।
- 9. संसूचना का विनिमय अनन्य रूप से इलैक्ट्रानिक ढंग से होना इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए,-
 - (क) राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केन्द्र था अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के बीच सभी संसूचनाओं का विनिमय अन्यन रूप से इलैक्टानिक ढंग से होगा: और
 - (ख) राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केन्द्र, राष्ट्रीय पहचानविहीन निर्धारण केन्द्र, निर्धारण अधिकारी और अपील ईकाई के बीच सभी आन्तरिक संसूचनाओं का विनिमय अन्यन रूप से इलैक्ट्रानिक ढंग से होगा।
- **10. इलैक्ट्रानिक अभिलेख का अधिप्रमाणन** इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए, इलैक्ट्रानिक अभिलेख का अधिप्रमाणन निम्नलिखित के द्वारा किया जाएगा
 - (i) पैरा 5 के उप-पैरा (1) के खंड () के अधीन या पैरा 6 के उपपैरा (5) के अधीन या पैरा 7 के उप-पैरा (8) अधीन पारित आदेश के मामले में आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा उसके डिजीटल हस्तक्षर करके;
 - (ii) खंड (i) में निर्दिष्ट आदेशों से भिन्न, आयुक्त (अपील) के निमित्त की गई सभी संसूचनाओं हेतु, राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केन्द्र द्वारा उसके निमित्त प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा डिजीटल हस्ताक्षर करके;
 - (iii) अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, उसके डिजीटल हस्ताक्षर करके या इलैक्ट्रानिक सत्यापन कूट के अधीन या अभिहित पोर्टल में उसके रजिस्टीकृत खाते में लॉग-ईन करके:

स्पष्टीकरण – इस पैरा के प्रयोजन के लिए, इलैक्ट्रानिक सत्यापन कूट का वही अर्थ होगा जो इसका नियमों के नियम 12 में यथानिर्दिष्ट है।

- 11. इलैक्ट्रानिक अभिलेख का परिदान (1) इस स्कीम के अधीन प्रत्येक नोटिस या आदेश या कोई अन्य "इलैक्ट्रानिक संसूचना" निम्नलिखित तरीकों से संबोधिती, जो अपीलार्थी है, को परिदान किया जाएगा
 - (क) अपीलार्थी के रजिस्ट्रीकृत खाते में उसकी एक अधिप्रमाणित प्रति रखकर; या
 - (ख) अपीलार्थी या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि के रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते में उसकी एक अधिप्रमाणित प्रति भेजकर: या
 - (ग) अपीलार्थी के मोबाइल ऐप पर अधिप्रमाणित प्रति अपलोड़ करके जिसके पश्चात् समयोचित चेतावनी भेजकर ।
- (2) इस स्कीम के अधीन प्रत्येक नोटिस या आदेश या कोई अन्य इलैक्ट्रानिक संसूचना, संबोधिती के, जो कोई अन्य व्यक्ति है, रजिस्ट्रीकृत ई-मेल पते में उसकी एक अधिप्रमाणित प्रति भेजकर जिसके पश्चात् समयोचित चेतावनी भेजकर परिदान किया जाएगा।
- (3) अपीलार्थी इस स्कीम के अधीन नोटिस या आदेश या कोई अन्य इलैक्ट्रानिक संसूचना का उत्तर अपने रिजस्ट्रीकृत खाते के माध्यम से प्रस्तुत करेगा और राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केन्द्र द्वारा उत्तर के सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने पर सृजित हैश परिणाम अन्तर्विष्ट करने वाली उसकी अभिस्वीकृति भेजे जाने पर, उत्तर अधिप्रमाणित समझा जाएगा।
- (4) जावक का समय और स्थान तथा इलैक्ट्रानिक अभिलेख की रसीद सूचना प्रौद्योगिक अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 13 के उपबंधों के अनुसार अवधारित किया जाएगा।

- 12. केन्द्रों या ईकाइयों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित न होना (1) किसी भी व्यक्ति से व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से इस स्कीम के अधीन स्थापित राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केन्द्र या अपील इकाई में आयकर प्राधिकारी के समक्ष इस स्कीम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के संबंध में उपस्थित होना अपेक्षित नहीं होगा।
- (2) यथास्थिति, अपीलार्थी या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि व्यक्तिगत सुनवाई के लिए निवेदन कर सकेगा जिससे वह इस स्कीम के अधीन राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केन्द्र के माध्यम से अपने मौखिक उत्तर या अपने मामले को आयुक्त (अपील) के समक्ष प्रस्तुत कर सके।
- (3) संबंधित आयुक्त (अपील) व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अनुमित देगा तथा सुनवाई की तारीख और समय अपीलार्थी को राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केन्द्र के माध्यम से संसूचित करेगा।
- (4) ऐसी सुनवाई वीडियो कान्फ्रेसिंग या वीडियो टेलीफोनी के माध्यम से संचालित की जाएगी जिसके अन्तर्गत किसी दूरसंचार अनुप्रयोग साफ्टवेयर का उपयोग भी है जो बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य सीमा तक वीडियो कान्फ्रेसिंग या वीडियो टेलीफोनी का समर्थन करता हो।
- (5) इस स्कीम के अधीन अपीलार्थी या किसी अन्य व्यक्ति का कोई परीक्षण या कथन अभिलिखित करना अनन्य रूप से वीडियो कान्फ्रेसिंग या वीडियो टेलीफोनी के माध्यम से आयुक्त (अपील) द्वारा संचालित किया जाएगा जिसके अन्तर्गत किसी दूरसंचार अनुप्रयोग साफ्टवेयर का उपयोग भी है जो बोर्ड द्वारा अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार प्रौद्योगिकीय रूप से साध्य सीमा तक वीडियो कान्फ्रेसिंग या वीडियो टेलीफोनी का समर्थन करता हो।
- (6) बोर्ड ऐसे अवस्थानों पर जहां आवश्यक हो, वीडियो कान्फ्रेसिंग या वीडियो टेलीफोनी के लिए उपयुक्त सुविधाएं स्थापित करेगा जिसके अन्तर्गत किसी दूरसंचार अनुप्रयोग साफ्टवेयर का उपयोग भी है जो वीडियो कान्फ्रेसिंग या वीडियो टेलीफोनी का समर्थन करता हो, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपीलार्थी या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि या कोई अन्य व्यक्ति इस स्कीम के फायदों से मात्र इस आधार पर वंचित न हो कि अपीलार्थी या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति के पास वीडियो कान्फ्रेसिंग या वीडियो टेलीफोनी तक पहंच नहीं है।
- 13. प्ररुप, ढंग, प्रक्रिया और प्रक्रियागत करना विनिर्दिष्ट करने की शक्ति राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केन्द्र का प्रभारी आयकर प्रधान मुख्य आयुक्त या आयकर प्रधान महानिदेशक, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से इस स्कीम के अधीन गठित राष्ट्रीय पहचानविहीन अपील केन्द्र या अपील इकाई के स्वचालित और यांत्रिक वातावरण में प्रभावी कार्यकरण के लिए मानक, प्रक्रियाएं और प्रक्रियागत करना अधिकथित करेगा, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित के संबंध में प्ररुप, ढंग, प्रक्रिया और प्रक्रियागत करना भी है, अर्थात्:-
 - (i) नोटिस, आदेश या किसी अन्य संसुचना की तामील;
 - (ii) नोटिस, आदेश या किसी अन्य संसूचना के उत्तर में किसी व्यक्ति से कोई जानकारी या दस्तावेज की प्राप्ति;
 - (iii) व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत उत्तर की अभिस्वीकृति जारी करना;
- (iv) "ई-अपील" का उपबंध, जिसके अन्तर्गत लॉग-इन खाता सुविधा, अपील की ट्रैकिंग प्रास्थिति, सुसंगत ब्यौरो को प्रदर्शित करना और डाउनलोड की सुविधा;
- (v) जानकारी और उत्तर तक पहुंच, उसका सत्यापन और अधिप्रमाणन, जिसके अन्तर्गत अपील कार्यवाहियों के अधीन प्रस्तुत दस्तावेज भी हैं;
 - (vi) केन्द्रीयकृत रीति में जानकारी या दस्तावेजों की प्राप्ति, भंडारण और पुनःप्राप्ति;
 - (vii) संबंधित केन्द्रों और इकाईयों में साधारण प्रशासन और शिकायत निवारण प्रणाली;
 - (viii) अपील के अतिरिक्त आधार फाइल करना;
 - (ix) अतिरिक्त साक्ष्य फाइल करना।
- **14. अधिनियम के उपबंधों का लागू होना** इस स्कीम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय अधिनियम की धारा 2 के खंड (16क), धारा 120, धारा 129, धारा 131, धारा 133, धारा 134, धारा 136, धारा 140, धारा 154, धारा 155, धारा 282, धारा 282क, धारा 283, धारा 284, अध्याय 20 और अध्याय 21 तथा अन्य उपबंध, आयुक्त (अपील) द्वारा अपील के निपटारे की प्रक्रिया को लागू होंगे।

[अधिसूचना सं. 139/2021/फा.सं. 370142/66/2021-टीपीएल]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2021

(INCOME-TAX)

S.O. 5429(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (6B) and (6C) of section 250 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of the Faceless Appeal Scheme, 2020 of the Government of India in the Ministry of Finance published in the Official Gazette *vide* number S.O. 3296(E) dated 25th September 2020 and S.O. 3297(E) dated 25th September 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following Scheme, namely:—

- **1. Short title and commencement.**—(1) This Scheme may be called the Faceless Appeal Scheme, 2021.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- **2. Definitions.** (1) In this Scheme, unless the context otherwise requires,
 - (i) "Act" means the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);
 - (ii) "addressee" shall have the same meaning as assigned to it in clause (b) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
 - (iii) "appeal" means appeal filed by a person under sub-section (1) of section 246A or section 248 of the Act:
 - (iv) "appellant" means the person who files appeal under section 246A or section 248 of the Act;
 - (v) "authorised representative" shall have the same meaning as assigned to it in sub-section (2) of section 288 of the Act:
 - (vi) "automated allocation system" means an algorithm for randomised allocation of cases, by using suitable technological tools, including artificial intelligence and machine learning, with a view to optimise the use of resources;
 - (vii) "computer resource" shall have the same meaning as assigned to it in clause (k) of subsection (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
 - (viii) "computer system" shall have the same meaning as assigned to it in clause (l) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
 - (ix) "computer resource of appellant" shall include the registered account in the designated portal of the Income-tax Department, or the Mobile App linked to the registered mobile number, or the registered e-mail address, of the appellant;
 - (x) "digital signature" shall have the same meaning as assigned to it in clause (p) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
 - (xi) "designated portal" means the web portal designated as such by the Principal Chief Commissioner of Income-tax or Principal Director General of Income-tax, in charge of the National Faceless Appeal Centre;
 - (xii) "e-appeal" means the appellate proceedings conducted electronically in 'e-appeal' facility through the registered account of the appellant in designated portal;
 - (xiii) "electronic record" shall have the same meaning as assigned to it in clause (t) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
 - (xiv) "email" or "electronic mail" and "electronic mail message" means a message or information created or transmitted or received on a computer, computer system, computer resource or communication device including attachments in text, image, audio, video and any other electronic record, which may be transmitted with the message;

- (xv) "hash function" and "hash result" shall have the same meaning as assigned to them in the *Explanation* to sub-section (2) of section 3 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
- (xvi) "Mobile app" shall mean the application software of the Income-tax Department developed for mobile devices which is downloaded and installed on the registered mobile number of the appellant;
- (xvii) "National Faceless Assessment Centre" shall mean the National Faceless Assessment Centre set up and notified under section 144B of the Act;
- (xviii) "real time alert" means any communication sent to the appellant, by way of Short Messaging Service on his registered mobile number, or by way of update on his Mobile App, or by way of an email at his registered email address, so as to alert him regarding delivery of an electronic communication;
- (xix) "registered account" of the appellant means the electronic filing account registered by the appellant in the designated portal;
- (xx) "registered e-mail address" means the e-mail address at which an electronic communication may be delivered or transmitted to the addressee, including-
 - (a) the email address available in the electronic filing account of the addressee registered in designated portal; or
 - (b) the e-mail address available in the last income-tax return furnished by the addressee; or
 - (c) the e-mail address available in the Permanent Account Number database relating to the addressee; or
 - (d) in the case of addressee being an individual who possesses the Aadhaar number, the e-mail address of addressee available in the database of Unique Identification Authority of India; or
 - (e) in the case of addressee being a company, the e-mail address of the company as available on the official website of Ministry of Corporate Affairs; or
 - (f) any e-mail address made available by the addressee to the income-tax authority or any person authorised by such authority;
- (xxi) "registered mobile number" means the mobile number of the appellant, or his authorised representative, appearing in the user profile of the electronic filing account registered by the appellant in the designated portal;
- (xxii) "Rules" means the Income-tax Rules, 1962;
- (xxiii) "video conferencing or video telephony" means the technological solutions for the reception and transmission of <u>audio-video</u> signals by users at different locations, for communication between people in real-time.
- (2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meaning as assigned to them in the Act.
- **3. Scope of the Scheme**.— The appeal under this Scheme shall be disposed of in respect of such territorial area or persons or class of persons or incomes or class of incomes or cases or class of cases, as may be specified by the Board.
- **4. Faceless Appeal Centres.**—(1) For the purposes of this Scheme, the Board may set up-
 - (i) a National Faceless Appeal Centre to facilitate the conduct of e-appeal proceedings in a centralised manner; and
 - (ii) Appeal units, as it may deem necessary to facilitate the conduct of e-appeal proceedings by the Commissioner (Appeals).

- (2) All communication between the Commissioner (Appeals) and the appellant or any other person or the Assessing Officer with respect to the information or documents or evidence or any other details, as may be necessary under this Scheme shall be through the National Faceless Appeal Centre.
- (3) The appeal unit referred to in clause (ii) of sub-paragraph (1) shall have the following authorities, namely:—
 - (a) one Commissioner (Appeals);
 - (b) such other income-tax authority, ministerial staff, executive or consultant to assist the Commissioner (Appeals) as considered necessary by the Board.
- **5. Procedure in appeal.**—(1) The appeal referred to in paragraph 3 shall be disposed of under this Scheme as per the following procedure, namely:—
 - (i) the National Faceless Appeal Centre shall assign the appeal for disposal to a Commissioner (Appeals) of a specific appeal unit through an automated allocation system;
 - (ii) On assignment of an appeal, the Commissioner (Appeals),—
 - (a) may condone the delay in filing appeal if the appeal is filed beyond the time permitted under section 249 of the Act and record the reasons for such condonation or otherwise in the appeal order passed under clause (x);
 - (b) shall through the National Faceless Appeal Centre give notice to the appellant asking him to file his submission within the date and time specified in such notice and also send a copy of such notice to the Assessing Officer either directly or through the National Faceless Assessment Centre, as the case may be;
 - (c) may through the National Faceless Appeal Centre obtain such further information, document or evidence from the appellant or any other person, as the case may be;
 - (d) may through the National Faceless Appeal Centre obtain a report of the Assessing Officer either directly or through the National Faceless Assessment Centre, as the case may be, on grounds of appeal or information, document or evidence furnished by the appellant;
 - (e) may, through the National Faceless Appeal Centre, request the Assessing Officer directly or through the National Faceless Assessment Centre, as the case may be, for making further inquiry under sub-section (4) of section 250 of the Act and submit a report thereof;
 - (f) shall, through the National Faceless Appeal Centre serve a notice upon the appellant or any other person, as the case may be, or the Assessing Officer directly or through the National Faceless Assessment Centre, as the case may be, to submit such information, document or evidence or report, as the case may be, as may be specified by the Commissioner (Appeals) or relevant to the appellate proceedings, on a specified date and time;
 - (iii) the appellant or any other person, as the case may be, shall furnish a response to the notice referred to in sub-clauses (b), (c) or (f) of clause (ii), within the date and time specified therein, or such extended date and time as may be allowed on the basis of an application made in this behalf, to the Commissioner (Appeals) through the National Faceless Appeal Centre;
 - (iv) the Assessing Officer either directly or through the National Faceless Assessment Centre, as the case may be, shall furnish a report in response to the notice referred to in sub-clauses (d), (e) or (f) of clause (ii), within the date and time specified therein or such extended date and time as may be allowed on the basis of an application made in this behalf, to the Commissioner (Appeals) through the National Faceless Appeal Centre;
 - (v) the appellant may file additional grounds of appeal to the Commissioner (Appeals) through the National Faceless Appeal Centre, in such form, as may be specified by the National Faceless Appeal Centre, specifying therein the reason for omission of such ground in the appeal filed by him;
 - (vi) where the additional ground of appeal is filed-

- (a) the Commissioner (Appeals) shall, through the National Faceless Appeal Centre, send the additional ground of appeal to the Assessing Officer either directly or through the National Faceless Assessment Centre, as the case may be, for providing comments, if any;
- (b) the Assessing Officer, either directly or through the National Faceless Assessment Centre, as the case may be, shall furnish their comments, within the date and time specified or such extended date and time as may be allowed on the basis of an application made in this behalf, to the Commissioner (Appeals) through the National Faceless Appeal Centre;
- (c) the National Faceless Appeal Centre, on receipt of comments from the Assessing Officer either directly or through the National Faceless Assessment Centre, as the case may be, shall send such comments to the Commissioner (Appeals), and where no such comments are furnished, inform the Commissioner (Appeals) accordingly;
- (d) the Commissioner (Appeals) shall, after taking into consideration the comments, if any, received from the Assessing Officer either directly or through the National Faceless Assessment Centre, as the case may be,—
 - (A) if is satisfied that the omission of additional ground from the form of appeal was not wilful or not unreasonable, admit such ground; or
 - (B) in any other case, not admit the additional ground, for reasons to be recorded in writing in the appeal order passed under clause (x);
- (vii) the appellant may furnish additional evidence, other than the evidence produced by him during the course of proceedings before the Assessing Officer either directly or through the National Faceless Assessment Centre, as the case may be, to the Commissioner (Appeals), through the National Faceless Appeal Centre, in such form, as may be specified by the National Faceless Appeal Centre, specifying therein as to how his case is covered by the exceptional circumstances specified in sub-rule (1) of rule 46A of the Rules;
- (viii) where the additional evidence is furnished,—
 - (a) the Commissioner (Appeals) through the National Faceless Appeal Centre shall send the additional evidence to the Assessing Officer either directly or through the National Faceless Assessment Centre, as the case may be, for furnishing a report on the admissibility of additional evidence in accordance with rule 46A of the Rules;
 - (b) the Assessing Officer either directly or through the National Faceless Assessment Centre, as the case may be, shall furnish the report, as referred to in sub-clause (a), within such date and time as specified or such extended date and time as may be allowed on the basis of an application made in this behalf, to the Commissioner (Appeals) through the National Faceless Appeal Centre;
 - (c) the National Faceless Appeal Centre, on receipt of the report from the Assessing Officer either directly or through the National Faceless Assessment Centre, as the case may be, shall send such report to the Commissioner (Appeals), and where no such report is furnished, inform the Commissioner (Appeals);
 - (d) the Commissioner (Appeals) may, after considering the additional evidence and the report, if any, furnished by the Assessing Officer either directly or through the National Faceless Assessment Centre, as the case may be, admit or reject the additional evidence, for reasons to be recorded in writing, and the same shall form a part of the appeal order passed under clause (x);
 - (e) the Commissioner (Appeals) shall, if he admits such evidence, before taking such evidence into account in the appellate proceedings, prepare a notice to provide an opportunity through the National Faceless Appeal Centre to the Assessing Officer either directly or through the National Faceless Assessment Centre, as the case may be, to examine such evidence or to cross-examine such witness, as may be produced by the appellant, or to produce any evidence or document, or any witness in rebuttal of the evidence or witness produced by the appellant, and furnish a report thereof and send such

- notice, through the National Faceless Appeal Centre, to the Assessing Officer either directly or through the National Faceless Assessment Centre, as the case may be;
- (f) the Assessing Officer shall either directly or through the National Faceless Assessment Centre, as the case may be, furnish the report within the date and time specified or such extended date and time as may be allowed on the basis of an application made in this behalf, to the Commissioner (Appeals) through the National Faceless Appeal Centre;
- (g) the National Faceless Appeal Centre shall send the report furnished by the Assessing Officer, either directly or through the National Faceless Assessment Centre, as the case may be, to the Commissioner (Appeals) or where no such report is furnished, inform the Commissioner (Appeals);
- (h) the Assessing Officer, either directly or through the National Faceless Assessment Centre, as the case may be, may request the Commissioner (Appeals) through the National Faceless Appeal Centre to direct the production of any document or evidence by the appellant, or the examination of any witness, as may be relevant to the appellate proceedings;
- (i) the Commissioner (Appeals) for the purpose of making enquiries in the appeal proceedings as referred to in sub-clause (e) of clause (ii) or where the request referred to in sub-clause (h) is received, may, if it deems fit, prepare a notice
 - (A) directing the appellant to produce such document or evidence, as it may specify; or
 - (B) for examination of any other person, being a witness; and send such notice to the National Faceless Appeal Centre;
- (j) the National Faceless Appeal Centre shall serve the notice referred to in sub-clause (i) upon the appellant or any other person, being a witness, as the case may be;
- (k) the appellant or any other person, as the case may be, shall furnish his response to the notice referred to in sub-clause (j), within the date and time specified in the notice or such extended date and time as may be allowed on the basis of application made in this behalf, to the Commissioner (Appeals) through the National Faceless Appeal Centre;
- (1) the National Faceless Appeal Centre, on receipt of response from the appellant or any other person, as the case may be, shall send such response to the Commissioner (Appeals) or where no such response is furnished, inform the Commissioner (Appeals) accordingly;
- (ix) where the Commissioner (Appeals) intends to enhance an assessment or a penalty or reduce the amount of refund, -
 - (a) the Commissioner (Appeals) shall prepare a show-cause notice containing the reasons for such enhancement or reduction, as the case may be, and send such notice through the National Faceless Appeal Centre;
 - (b) the National Faceless Appeal Centre shall serve the notice, as referred to in sub-clause (a), upon the appellant;
 - (c) the appellant shall, within the date and time specified in the notice or such extended date and time as may be allowed on the basis of application made in this behalf, furnish his response to the National Faceless Appeal Centre;
 - (d) where a response is furnished by the appellant, the National Faceless Appeal Centre shall send such response to the Commissioner (Appeals), or where no such response is furnished, inform the Commissioner (Appeals) accordingly.
- (x) The Commissioner (Appeals) shall, thereafter:-
 - (a) prepare in writing, an appeal order in accordance with the provisions of section 251 of the Act stating the points for determination, the decision thereon and the reason for decision; and

- (b) send such order after signing the same digitally to the National Faceless Appeal Centre along with the details of the penalty proceedings, if any, to be initiated therein;
- (xi) the National Faceless Appeal Centre shall upon receipt of the order, as referred to in sub-clause (b) of clause (x),
 - (a) communicate such order to the appellant;
 - (b) communicate such order to the Principal Chief Commissioner or Chief Commissioner or Principal Commissioner or Commissioner as per sub-section (7) of section 250 of the Act;
 - (c) communicate such order to the Assessing Officer either directly or through the National Faceless Assessment Centre, as the case may be, for such action as may be required under the Act:
 - (d) where initiation of penalty has been recommended in the order, serve a notice on the appellant calling upon him to show cause as to why penalty should not be imposed upon him under the relevant provisions of the Act;
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-paragraph (1), the appeal, may be transferred at any stage of the appellate proceedings, if considered necessary, by an order in accordance with section 120 of the Act, to such Commissioner (Appeals) as may be specified in the order.
- **6. Penalty proceedings** (1) Commissioner (Appeals) may, in the course of appeal proceedings, for noncompliance of any notice, direction or order issued under this Scheme on the part of the appellant or any other person, as the case may be, send a notice to the appellant through the National Faceless Appeal Centre for initiation of any penalty proceedings calling upon the appellant to show cause as to why penalty should not be imposed upon him under the relevant provisions of the Act.
- (2) The National Faceless Appeal Centre shall, upon receipt of notice under sub-paragraph (1), serve the same on the appellant or any other person, as the case may be.
- (3) The appellant or any other person, as the case may be, shall furnish a response to the show-cause notice referred to in sub-paragraph (2) or in sub-clause (d) of clause (xi) of sub-paragraph (1) of paragraph 5, within the date and time specified in such notice or such extended date and time as may be allowed on the basis of application made in this behalf, to the Commissioner (Appeals) through the National Faceless Appeal Centre.
- (4) The National Faceless Appeal Centre shall send the response furnished by the appellant or any other person, as the case may be, to the Commissioner (Appeals) or where no such report is furnished, inform the Commissioner (Appeals) accordingly.
- (5) The Commissioner (Appeals) shall, after taking into account all the relevant material available on the record, including the response furnished, if any, by the appellant or any other person, as the case may be,
 - (a) prepare a penalty order and send a copy of such order after digitally signing the same to the National Faceless Appeal Centre; or
 - (b) drop the penalty after recording reasons, under intimation to the National Faceless Appeal Centre.
- (6) In a case where the Commissioner (Appeals) has dropped the penalty, the National Faceless Appeal Centre shall send an intimation thereof, or where the Commissioner (Appeals) sends the order for imposition of penalty, the National Faceless Appeal Centre shall communicate such order, to,
 - (a) the appellant or any other person, as the case may be; and
 - (b) the Assessing Officer either directly or through the National Faceless Assessment Centre, as the case may be, for such action as may be required under the Act.
- **7. Rectification Proceedings.** (1) With a view to rectifying any mistake apparent from the record the Commissioner (Appeals) may amend any order passed by it in accordance with the provisions of the Act, by an order to be passed in writing.
- (2) Subject to the other provisions of this Scheme, an application for rectification of mistake referred to in sub-paragraph (1) may be filed with the National Faceless Appeal Centre by:-
 - (a) the appellant or any other person, as the case may be; or

- (b) the Commissioner (Appeals) who has passed the appeal order; or
- (c) the Assessing Officer either directly or through the National Faceless Assessment Centre, as the case may be.
- (3) Where any application referred to in sub-paragraph (2) is received by the National Faceless Appeal Centre, it shall assign such application to a Commissioner (Appeals) through an automated allocation system.
- (4) The Commissioner (Appeals) shall examine the application and send the notice to the National Faceless Appeal Centre for granting an opportunity—
 - (a) to the appellant or any other person, as the case may be, where the application has been filed by the Assessing Officer either directly or through the National Faceless Assessment Centre, as the case may be; or
 - (b) to the Assessing Officer either directly or through the National Faceless Assessment Centre, as the case may be, where the application has been filed by the appellant or any other person, as the case may be; or
 - (c) to the appellant or any other person, as the case may be, and the Assessing Officer either directly or through the National Faceless Assessment Centre, as the case may be, where the application has been filed by the Commissioner (Appeals) referred to in clause (b) of sub-paragraph (2).
- (5) The National Faceless Appeal Centre shall serve the notice referred to in sub-paragraph (4) upon the appellant or any other person, as the case may be, or the Assessing Officer either directly or through the National Faceless Assessment Centre, as the case may be, calling upon him to show cause as to why rectification of mistake should not be carried out under the relevant provisions of the Act.
- (6) The appellant or any other person, as the case may be, or the Assessing Officer either directly or through the National Faceless Assessment Centre, as the case may be, shall furnish a response to the notice, as referred to in sub-paragraph (5), within the date and time specified therein, or such extended date and time as may be allowed on the basis of an application made in this behalf, to the National Faceless Appeal Centre.
- (7) Where a response, as referred to in sub-paragraph (6), is furnished by the appellant or any other person, as the case may be, or the Assessing Officer either directly or through the National Faceless Assessment Centre, as the case may be, the National Faceless Appeal Centre shall send such response to the Commissioner (Appeals), or where no such response is furnished, inform the Commissioner (Appeals) accordingly.
- (8) The Commissioner (Appeals) shall, after taking into consideration the application and response, if any, furnished by the appellant or any other person, as the case may be, or the Assessing Officer either directly or through the National Faceless Assessment Centre, as the case may be, by an order in writing,—
 - (a) rectify the mistakes; or
 - (b) reject the application for rectification, citing reasons thereof,

and send the order after digitally signing it to the National Faceless Appeal Centre.

- (9) The National Faceless Appeal Centre shall upon receipt of rectification order, as referred to in subparagraph (8), communicate such order,—
 - (a) to the appellant or any other person, as the case may be; and
 - (b) to the Assessing Officer either directly or through the National Faceless Assessment Centre, as the case may be, for such action as may be required under the Act.
- **8. Appellate Proceedings.**—(1) An appeal against an order passed by the Commissioner (Appeals) under this Scheme shall lie before the Income Tax Appellate Tribunal having jurisdiction over the jurisdictional Assessing Officer of the appellant assessee.
- (2) Subject to the provisions of paragraph 3 of the scheme, where any order passed by the Commissioner (Appeals) is set-aside and remanded back to the Commissioner (Appeals) by the Income Tax Appellate

Tribunal or High Court or Supreme Court, the National Faceless Appeal Centre shall assign the order to a Commissioner (Appeals) for further action in accordance with the provisions of this Scheme.

- **9. Exchange of communication exclusively by electronic mode.**—For the purposes of this Scheme,—
 - (a) all communications between the National Faceless Appeal Centre and the appellant, or his authorised representative, shall be exchanged exclusively by electronic mode; and
 - (b) all internal communications between the National Faceless Appeal Centre, the National Faceless Assessment Centre, the Assessing Officer and the appeal unit shall be exchanged exclusively by electronic mode.
- **10. Authentication of electronic record.** For the purposes of this Scheme, an electronic record shall be authenticated by—
 - (i) the Commissioner of Income-tax (Appeals), in case of order passed under clause (x) of sub-paragraph (1) of paragraph 5 or under sub-paragraph (5) of paragraph 6 or under sub-paragraph (8) of paragraph 7, by affixing his digital signature;
 - (ii) the National Faceless Appeal Centre by affixing digital signature of the authorised signatory on its behalf, for all communication made on behalf of Commissioner (Appeals), other than the orders referred to in clause (i);
 - (iii) the appellant or any other person, by affixing his digital signature or under electronic verification code or by logging into his registered account in the designated portal;

Explanation. – For the purpose of this paragraph, "electronic verification code" shall have the same meaning as referred to in rule 12 of the Rules.

- 11. Delivery of electronic record.—(1) Every notice or order or any other electronic communication under this Scheme shall be delivered to the addressee, being the appellant, by way of-
 - (a) placing an authenticated copy thereof in the appellant's registered account; or
 - (b) sending an authenticated copy thereof to the registered email address of the appellant or his authorised representative; or
 - (c) uploading an authenticated copy on the Mobile App of the appellant followed by a real time alert.
- (2) Every notice or order or any other electronic communication under this Scheme shall be delivered to the addressee, being any other person, by sending an authenticated copy thereof to the registered email address of such person, followed by a real time alert.
- (3) The appellant shall furnish his response to any notice or order or any other electronic communication, under this Scheme, through his registered account, and once an acknowledgement is sent by the National Faceless Appeal Centre containing the hash result generated upon successful submission of response, the response shall be deemed to be authenticated.
- (4) The time and place of dispatch and receipt of electronic record shall be determined in accordance with the provisions of section 13 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).
- **12.** No personal appearance in the Centres or Units.—(1) A person shall not be required to appear either personally or through authorised representative in connection with any proceedings under this Scheme before the income-tax authority at the National Faceless Appeal Centre or appeal unit set up under this Scheme.
- (2) The appellant or his authorised representative, as the case may be, may request for personal hearing so as to make his oral submissions or present his case before the Commissioner (Appeals), through the National Faceless Appeal Centre, under this Scheme.
- (3) The concerned Commissioner (Appeals) shall allow the request for personal hearing and communicate the date and time of hearing to the appellant through the National Faceless Appeal Centre.
- (4) Such hearing shall be conducted through video conferencing or video telephony, including use of any telecommunication application software which supports video conferencing or video telephony, to the extent technologically feasible, in accordance with the procedure laid down by the Board.

- (5) Any examination or recording of the statement of the appellant or any other person shall be conducted by Commissioner (Appeals) under this Scheme, exclusively through video conferencing or video telephony, including use of any telecommunication application software which supports video conferencing or video telephony, to the extent technologically feasible, in accordance with the procedure laid down by the Board.
- (6) The Board shall establish suitable facilities for video conferencing or video telephony including telecommunication application software which supports video conferencing or video telephony at such locations as may be necessary, so as to ensure that the appellant, or his authorised representative, or any other person is not denied the benefit of this Scheme merely on the ground that such appellant or his authorised representative, or any other person does not have access to video conferencing or video telephony at his end.
- **13. Power to specify format, mode, procedure and processes.**—The Principal Chief Commissioner of Income-tax or the Principal Director General of Income-tax, in charge of the National Faceless Appeal Centre shall, with the prior approval of Board, lay down the standards, procedures and processes for effective functioning of the National Faceless Appeal Centre and the appeal unit set-up under this Scheme, in an automated and mechanised environment, including format, mode, procedure and processes in respect of the following, namely:—
 - (i) service of the notice, order or any other communication;
 - (ii) receipt of any information or documents from the person in response to the notice, order or any other communication;
 - (iii) issue of acknowledgment of the response furnished by the person;
 - (iv) provision of "e-appeal" facility including login account facility, tracking status of appeal, display of relevant details, and facility of download;
 - (v) accessing, verification and authentication of information and response including documents submitted during the appellate proceedings;
 - (vi) receipt, storage and retrieval of information or documents in a centralised manner;
 - (vii) general administration and grievance redressal mechanism in the respective Centres and units;
 - (viii) filing of additional ground of appeal;
 - (ix) filing of additional evidence.
- **14. Application of provisions of the Act.-** Save as otherwise provided in this Scheme, the provisions of clause (16A) of section 2, section 120, section 129, section 131, section 133, section 134, section 136, section 140, section 154, section 155, section 282, section 282A, section 283, section 284, Chapter XX and Chapter XXI, and other provisions of the Act, shall apply to the procedure in disposal of appeal by Commissioner (Appeals).

[Notification No. 139/2021/F. No. 370142/66/2021-TPL] SHEFALI SINGH, Under Secy.

